भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5017

(सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

उज्जैन में कंपनियाँ

5017. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान उज्जैन-आलोट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत कंपनियों/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) की संख्या कितनी है तथा उनमें से वर्तमान में सक्रिय कंपनियों/एलएलपी की संख्या कितनी है;

(ख) उज्जैन-आलोट क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय की गई निधियों की राशि कितनी है तथा उन विकास कार्यों/कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त निधियों का उपयोग किया गया है;

(ग) उज्जैन-आलोट क्षेत्र में स्टार्ट-अप तथा नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ कौन-सी हैं तथा अब तक उनसे लाभान्वित उद्यमियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि उज्जैन-आलोट क्षेत्र में इन कंपनियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में लिए जा रहे परियोजनाओं की संख्या बहुत कम है और यदि हाँ, तो ऐसी परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनियों/सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) तथा सीएसआर से संबंधित आँकड़े जिला-वार रखे जाते हैं, परंतु संसदीय क्षेत्र-वार नहीं रखे जाते हैं। पिछले पाँच वर्षों (28.02.2026 तक) के दौरान उज्जैन जिले में पंजीकृत एवं सक्रिय कंपनियों की संख्या क्रमशः 735 एवं 724 है। पिछले पाँच वर्षों (28.02.2026 तक) के दौरान उज्जैन जिले में पंजीकृत एवं सक्रिय एलएलपी की संख्या क्रमशः 197 एवं 196 है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर हेतु अधिदेशित कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक उज्जैन जिले में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य-वार, जिला-वार तथा वर्ष-दर-वर्ष कंपनी-वार आँकड़े सार्वजनिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों एवं स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु 'व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना, त्वरित विलय हेतु ढांचे का विस्तार, तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का अपराधमुक्तिकरण आदि शामिल हैं। कंपनी के निगमन के समय ही विभिन्न सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एसपीआईसीई+ ई-प्ररूप के साथ एजीआईएलई प्रो-एस नामक संबद्ध प्ररूप प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन का आवंटन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलना आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, ताकि व्यवसाय को तत्काल प्रारंभ किया जा सके। इसी प्रकार, एलएलपी के लिए फिल्लीप (सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) नामक नया ई-प्ररूप भी प्रारंभ किया गया है।

स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का विवरण अनुलग्नक -ख में दिया गया है। ये उपाय उज्जैन जिले सहित देशभर के स्टार्ट-अप्स को लाभान्वित करते हैं।

(घ): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए विधिक ढाँचा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, के साथ अधिनियम की अनुसूची VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 से मिलकर बना है। इस विधिक ढाँचे के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा संबंधित कारपोरेट इकाई की सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी का बोर्ड सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका क्रियान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने का अधिकार रखता है।

सरकार कारपोरेट्स को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशेष कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए कोई निदेश जारी नहीं करती है।

अनुलग्नक-क

दिनांक 23.03.2026 के लिए संसद प्रश्न संख्या 5017 के भाग (ख) के उत्तर में।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक उज्जैन जिले में विकास कार्यों/कार्यकलाप-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	पशु कल्याण	0.00	0.06	0.25
2.	कला और संस्कृति	0.06	0.24	0.44
3.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	0.13	0.00	0.00
4.	शिक्षा	4.41	8.23	3.15
5.	पर्यावरणीय स्थिरता	1.24	2.34	3.12
6.	लैंगिक समानता	0.12	0.44	0.51
7.	स्वास्थ्य देखभाल	2.92	7.51	2.87
8.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	0.00	0.01	0.42
9.	गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का उन्मूलन	1.69	4.75	9.67
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	2.07	3.85	1.49
11.	सुरक्षित पेयजल	0.00	0.11	0.42
12.	स्वच्छता	1.95	0.18	0.00
13.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.70	0.07	0.05
14.	महिलाओं के लिए आश्रय और छात्रवास बनाना	0.00	0.00	0.24
15.	अनाथालय की स्थापना	0.00	0.00	0.00
16.	स्लम क्षेत्र विकास	0.00	0.00	0.03
17.	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	0.00	0.29	0.35
18.	विशेष शिक्षा	0.00	0.00	0.29
19.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	0.05	0.05	0.00
20.	व्यावसायिक कौशल	0.00	0.91	0.96
21.	महिला सशक्तिकरण	0.00	0.15	0.17
	कुल	15.34	29.19	24.43

अनुलग्नक-ख

दिनांक 23.03.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5017 के भाग (ग) के उत्तर में

क्र. सं.	**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा/नियम**	**विषय**	**स्टार्ट-अप को संबल देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान**
1.	धारा 2(40)	वित्तीय विवरण	स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने के लिए नकदी प्रवाह विवरण की आवश्यकता वैकल्पिक है।
2.	धारा 73(2) खंड (क) से (ङ)	जमा की स्वीकृति	स्टार्ट-अप को अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करते समय प्रक्रियात्मक अनुपालन से छूट दी गई थी (जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट रेटिंग दर्शाने वाला एक परिपत्र अपने सदस्यों को जारी करना, परिपक्व होने वाली जमा राशि का 20% जमा करना, और पुनर्भुगतान में चूक के संबंध में प्रमाणन)।
3.	धारा 92(1)	वार्षिक रिटर्न	एक स्टार्ट-अप के निदेशकों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने की अनुमति है यदि कंपनी के पास कंपनी सचिव नहीं है।
4.	धारा 173(5)	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी के निदेशक मंडल को 120 दिनों में कम से कम एक बार, एक वर्ष में 4 बोर्ड बैठकें करने की आवश्यकता होती है। तथापि, स्टार्ट-अप को त्रैमासिक बोर्ड बैठकें आयोजित करने से छूट दी गई है और उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में दो बोर्ड बैठकें, अर्थात् हर छह महीने में एक बार आयोजित करने की अनुमति है।
5.	कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 6	ओपीसी का सार्वजनिक और निजी कंपनियों में रूपांतरण	इस शर्त को हटा दिया गया था कि ओपीसी को अपनी चुकता पूंजी 50 लाख रुपये से अधिक होने और उसका औसत वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक होने के बाद स्वयं को परिवर्तित करना होगा। चूंकि कई स्टार्ट-अप एकल व्यक्ति कंपनी हैं, इसलिए यह उन्हें ओपीसी के रूप में स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है।
6.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 8(4)	स्वेट इक्विटी	सामान्य तौर पर, किसी कंपनी में स्वेट इक्विटी शेयर जारी करना किसी भी समय कंपनी की चुकता पूंजी के 25% से अधिक नहीं होगा। तथापि, स्टार्ट-अप के मामले में, यह सीमा इसकी चुकता शेयर पूंजी के 50% तक है।
7.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 12(1)(ग)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी)	सामान्य तौर पर, ईएसओपी उस कर्मचारी को नहीं दिया जाता है जो प्रमोटर या प्रमोटर समूह से संबंधित व्यक्ति है और कोई निदेशक जो या तो स्वयं या अपने रिश्तेदार या कॉर्पोरेट निकाय के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की 10% से अधिक इक्विटी रखता है। स्टार्ट-अप को प्रमोटरों और निदेशकों को ईएसओपी जारी करने की अनुमति है।
8.	नियम 2 (1)(ग) (xvii) कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014	परिवर्तनीय नोट	स्टार्ट-अप एकल व्यक्ति से एक ही किश्त में परिवर्तनीय नोट (इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या जारी होने की तारीख से दस साल से अधिक की अवधि के भीतर चुकाने योग्य) के माध्यम से 25 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह के लेनदेन को जमा नहीं माना जाता है।
9.	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 3(3)	जमा की स्वीकृति	कंपनियां आमतौर पर अपने सदस्यों से किसी भी जमा को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती हैं जो कंपनी के चुकता शेयर पूंजी, मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 35% से अधिक नहीं है। लेकिन स्टार्ट-अप को राशि पर किसी भी प्रतिबंध के बिना सदस्यों से जमा स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।